S2B

1150

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हज़ार रुपये

04DD 421198

विक्रय पत्र अंकन 36,93,308/– रूपये

स्टाम्प अंकन 3,69,400/– रूपये

विक्रय भूमि का विवरण : भूमि खाता नं0 00873 खसरा नं0 1260/2 रकबई 0.193 हैक्टैयर विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम डूंडा हेडा परगना लौनी

[illegible] KUMAR [illegible]
ADVOCATE
GHAZIABAD

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हज़ार रुपये

04DD 421197

तहसील व जिला गाजियाबाद (उ0प्र0) जिसे आगे विक्रय भूमि कहा गया है, जो कि विक्रय है। उक्त भूमि आवासीय हेतु क्रेता को विक्रय की जा रही है।

Advocate
GHAZIABAD

04DD 421196

मेन रोड के मध्य बिन्दू से हटकर 500 मीटर से अधिक दूरी पर है। सरकारी भूमि की दर 1600/– रूपये प्रति वर्ग मीटर है। जब कि स्टाम्प इससे अधिक के

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000
RUPEES 25000 रुपये
RUPEES 25000
पच्चीस हज़ार रुपये

कहा गया है।

एवं

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

04DD 421192

मैसर्स वृति कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बी–47 कनाट प्लेस , नई दिल्ली –110001 द्वारा श्री गीताराम त्यागी पुत्र श्री दाताराम त्यागी (सीनियर

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

04DD 421191

8

मैनेजर) निवासी– के0एल0 57 कविनगर गाजियाबाद। द्वितीय पक्ष क्रेता । जिन्हे आगे चलकर क्रेता कहा गया है।

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

04DD 421190

9

इस बैनामे में विक्रेता व क्रेता कम्पनी के समस्त उत्तराधिकारी एवं वैधानिक व न्यायिक प्रतिनिधिगण आदि सम्मिलित समझे जावेगे।

04DD 421188

विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम जूंडा हेडा परगना लौनी तहसील व जिला गाजियाबाद का मैं प्रथम पक्ष सक्रंमणीय भूमिधर मालिक व स्वामी हूँ। जो आज

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

04DD 421187

दिन तक हम विक्रेतागण की ओर से हर प्रकार के बंधक भार सरकारी देनदारी व अन्य लोन आदि आदि से मुक्त है, कहो अन्य जगह आड़ रहन बय हिबे महायदाबय आदि आदि में ग्रस्त नहीं है। मिलकियत विक्रेता में किसी भी प्रकार

04DD 421186

का कोई दोष व त्रुटि नहीं है। हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है। अतः मुझ विक्रेता ने अपनी उपरोक्त भूमि रकबई 0.193 है0 खुशी व रजामन्दी शुद्ध बुद्धि

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

JUN 2005

04DD 421185

व स्वस्थ इन्द्रियों के साथ बिना किसी डर, दबाव व बहकाव के प्रभावित होते

INDIA NON JUDICIAL

भारत

सत्यमेव जयते

Rs 5000

5000 रू.

पांच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

048689

हुऐ मय तमाम हक हकूक मालिकान दाखिल खारिज हर किसम मय कब्जा आदि आदि को मय हक काश्त व स्वंय प्राप्त सभी अधिकारों सहित आज की तारीख

045778

16

में बदले अंकन 36,93,308/- रूपये (छत्तीस लाख तईरानवे हजार तीन सौ आठ रूपये) आधे जिसके अंकन 18,46,654/- रूपये होते हैं। मैं बहक द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी उपरोक्त को विक्रय कर दिया है। और बेच दिया है तथा कुल

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पांच हज़ार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

0437?9

धनराशि निम्न प्रकार से वसूल पा ली है। कुछ बाकी नहीं रहा है। कब्जा मौके पर क्रेता कम्पनी का वास्तविक रूप से करा दिया है। जिसकी अब क्रेता कम्पनी पूर्णतः मालिक बन गयी है। क्रेता कम्पनी को सर्वथा अधिकार है, कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालिकाना हकूक प्रयोग में लावे। उक्त भूमि

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

को विक्रय आदि करें, विक्रय का अनुबन्ध करें, इस बैनामा के आधार पर अपना नाम सरकारी गैर सरकारी व अन्य आवश्यक कागजातों व विभागों आदि में दर्ज करावें, काश्त करें, व अन्य कोई कार्यवाही करें, अर्थात जिस प्रकार चाहे अपने

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

मालिकाना हकूक में लाकर लाभ उठावें। मुझ विक्रेता या मेरे वारिसान का विक्रय भूमि से कोई मालिकाना वास्ता या सम्बंध बाकी नहीं रहा है। गर्ज है। कि यदि मुझ विक्रेता के अनाधिकार से या किसी कानूनी नुक्स ना मालूम के कारण उक्त भूमि का कुल या कुछ अंश क्रेता उपरोक्त कम्पनी के कब्जा व दखल मालिकाना

से निकल जावेगा, तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की समस्त धनराशि मय ब्याज व हर्जे खर्चे आदि के विक्रेता व उनके वारिसान की चल अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करले। कोई

INDIA NON-JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

58755

आपत्ति नहीं होगी। भू: राजस्व प्राधिकारी अथवा अन्य द्वारा इस विक्रय पत्र से सम्बंधित भूमि के रजिस्ट्रेशन के दिनांक तक की कर आदि की किसी भी देनदारी का दायित्व भूमि विक्रेता का होगा। और बाद इसके तदर्थ क्रेता कम्पनी उत्तरदायी होगी। मुझ विक्रेता ने उक्त खसरां नंम्बर में. सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय

100 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

UTTAR PRADESH

A 390807

किया है। विक्रय भूमि की बाबत दोनो पक्षों के मध्य कोई इकरारनामा महायदाबय पंजीकृत नही किया गया । उक्त भूमि ग्राम समाज व पट्टे भूदान अथवा वक्फ

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

UTTAR PRADESH

2006

A 390808

की नहीं है। विक्रेता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से नहीं है। विक्रय भूमि में जाने के लिए कोई रास्ता कायम नहीं है। व कोई निर्माण नहीं है। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें। इति।

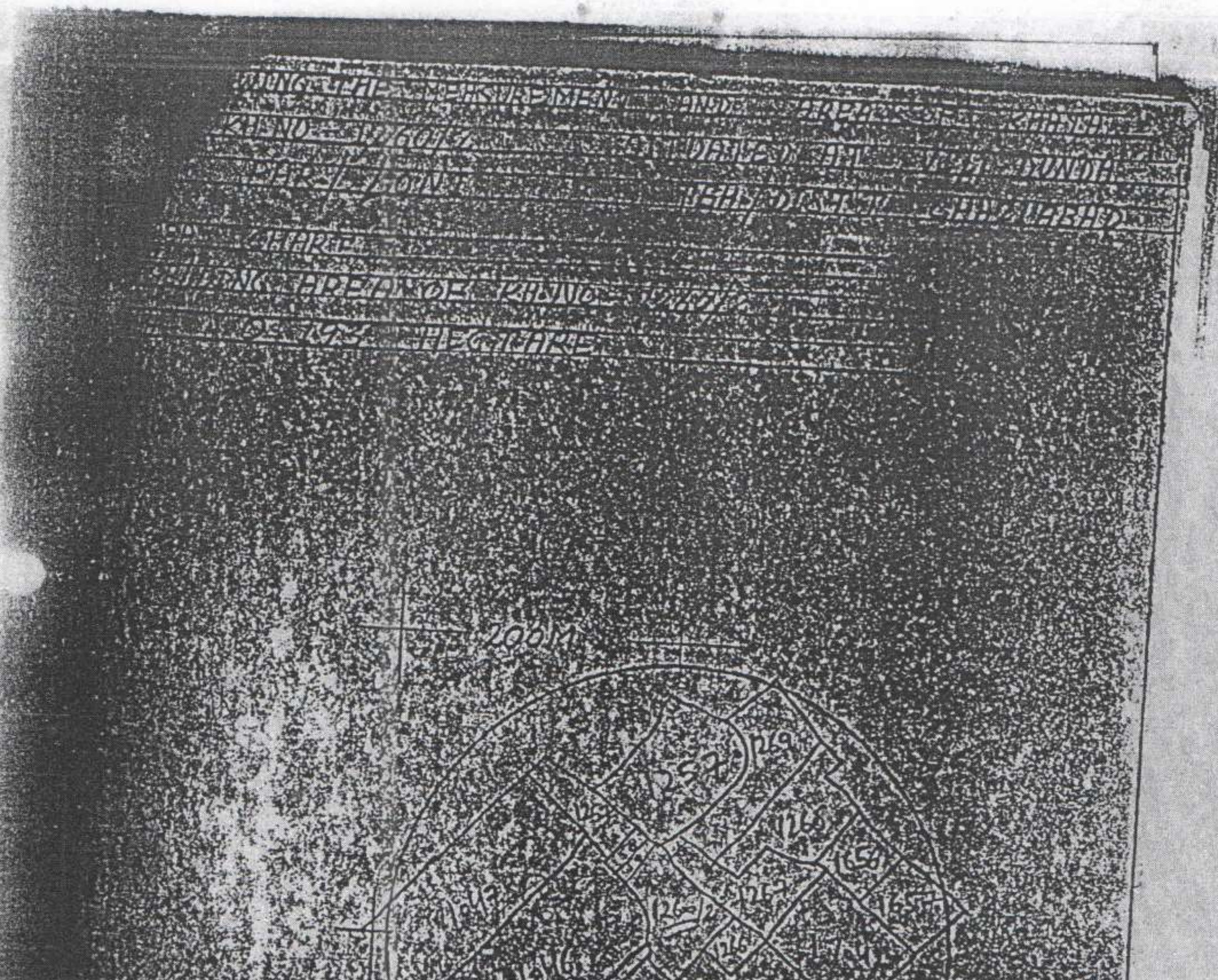
200M
200M

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

भारत

सत्यमेव जयते

१०० रु. Rs 100

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

प्रदेश UTTAR PRADESH A 390810

FEB 2006

25

गवाह : Mayank

MAYANK JOSHI S/o Late Dr. R. C. Joshi
901, VSNL Appts,
Sec 62, Noida.

गवाह : [illegible]

AMBUJ KUMAR DAGAR
Advocate
GHAZIABAD

दिनांक 14.02.2006ई0 मसौदा अम्बोज कुमार डागर एडवोकेट गाजियाबाद।

AMBUJ KUMAR DAGAR
Advocate
GHAZIABAD

क्रम सं० 10 दिनांक 14-2-06

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....

स्टाम्प क्रेता नाम व पूरा पता ....

स्टाम्प की धनराशि 100/-

..... कुमार .....

लाईसेंस संख्या 207/.....

लाइसेंस की अवधि 31 .....

.... 72, ...

Khasra No

1060/2

बही नं० 1 जिल्द सं० 6451 के पृष्ठ 129 से 180 नम्बर 1150 पर दिनांक 14/2/06 को रजिस्ट्री की गई।

स० र० प्रथम

गाजियाबाद

उपनिबंधक (सब रजिस्ट्रार) प्रथम गाजियाबाद